स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 321 दिनांक 10-10-2021

UP-STF का आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार।

दिनांक 10–10–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को **S.T.F. UP** का **I.P.S.** अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1- विपिन कुमार चौधरी पुत्र बनवारी लाल, नि० बड़ी अढ़ौली, कुम्हियांवा थाना-महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी।

बरामदगीः–

1– 01 अदद **I.P.S.** की वर्दी मय बैच, कैप, बेल्ट आदि (धारण किए हुए)
2– 01 अदद रिसीविंग प्रा0 विद्यालय परसिद्धपुर, धाता फतेहपुर की उपस्थिति रजिस्टर का (रविन्द्र कुमार पटेल **I.P.S., S.T.F.** ब्रान्च, लखनऊ उ0प्र0 2062 के नाम से)
3– 01 अदद अधार कार्ड।
4– 03 अदद मोबाइल फोन।
5– 01 अदद स्कूटी प्लीजर संख्याः यू0पी0 73–D–9947
6– 01 अदद पिट्ठू बैग (जिसमें पहनने का शर्ट व जींस)
7– 01 अदद डायरी।
8– 01 अदद पर्श।
9– 01 अदद डायरी।
10– 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड इलाहाबाद बैंक का।
11– 56 अदद उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति।
12– 01 अदद छायाप्रति कार्यभार ग्रहण आख्या (स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह)
13– 01 अदद छायाप्रति नियुक्ति आदेश (बी0एस0ए0 कार्यालय, कौशाम्बी स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह)
14– 09 अदद शैक्षणिक प्रपत्रों की छाया प्रतियॉ स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह के नाम का
15– 07 अदद सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा जारी सुशील कुमार सिंह के नाम के अंक पत्र आदि प्रपत्रों की छाया प्रतियॉ।
16– 04 अदद जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां सुशील कुमार सिंह के नाम का
17– 03 अदद शपथ–पत्र की छायाप्रतियां सुशील कुमार सिंह के नाम का
18– 01 अदद डिमाण्ड ड्राफ्ट 500/– का छायाप्रति
19– 01 अदद फिटनेस सर्टिफिकेट की छायाप्रति सुशील कुमार सिंह के नाम का
20– 01 अदद मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति सुशील कुमार सिंह के नाम का
21– 01 अदद अधार कार्ड की छायाप्रति सुशाील कुमार सिंह के नाम का
22– नकद रूपये 1500/– मात्र

गिरफ्तारी का स्थान एवं दिनांक –

हाईकोर्ट, हनुमार मंदिर चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज दिनांक 10–10–2021

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत दो दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति एस0टी0एफ0, उ0प्र0 का **I.P.S.** अधिकारी बनकर कुछ लोगों को ठगी के उद्देश्य से ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स, प्रयागराज पर मु0अ0सं0 791/2021 धारा– 170/171/419/420 का अभियोग भी पंजीकृत है। जिस सम्बन्ध में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई प्रयागराज के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 10–10–2021 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एस0टी0एफ0 उ0प्र0 का **I.P.S.** अधिकारी बनकर ठगी करने वाला व्यक्ति स0 अध्यापक राजेश सिंह व सुशील कुमार सिंह से हाईकोर्ट, हनुमान मंदिर चौराहा पर मिलने आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक, श्री केशव चन्द्र राय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, मुख्य आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी रोहित सिंह, अजय सिंह यादव, पंकज तिवारी व चालक रविकान्त सिंह की टीम उक्त स्थान पर पहुँचकर वांछित अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा आइपीएस की वर्दी धारण किया गया था। पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका असली नाम विपिन कुमार चौधरी पुत्र बनवारी लाल निवासी बड़ी अढ़ौली, कुम्हियांवा थाना महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने सघन पूछताछ पर बताया कि वह प्रयागराज के राजरूपपुर में किराये का कमरा लेकर रहता है तथा सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करता है। उसकी माता जी सुमति देवी मनकापुर प्रा0 पाठशाला, कौशाम्बी में स0 अध्यापक है। उसी प्राथमिक विद्यालय में सुशील कुमार सिंह भी स0 अध्यापक हैं। अभियुक्त विपिन कुमार चौधरी का मानना है कि सुशील कुमार सिंह की जान पहचान बी0आर0सी0 से होने के कारण उसके माता जी की ड्यूटी बी0एल0ओ0 में तथा दूरस्थ स्थानों में लगाकर तरह–तरह से परेशान व प्रताड़ित किया जाता है। इसी बात का बदला सुशील कुमार सिंह से लेने के लिए उसने **S.T.F** का फर्जी I.P.S. अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने का निश्चय किया। यू–टूब से **I.P.S.** अधिकारी की वर्दी, बैच, बिल्ले आदि के सम्बन्ध में जानकारी जुटा कर वर्दी सिलवाया तथा बैच एवं बिल्ला को दुकान से खरीदकर धारण कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त विपिन कुमार चौधरी द्वारा बकायदा **I.P.S.** की वर्दी पहनकर किराये की इनोवा गाड़ी लेकर ड्राईवर के साथ दिनांक 08–10–2021 को स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह के शिक्षा मित्र के रूप में प्रथम नियुक्ति वाले प्राथमिक विद्यालय परसिद्धपुर, धाता, फतेहपुर पर जाकर स0 अध्यापक राजेश सिंह से वर्ष–2006 से वर्ष 2019 तक की अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति को जांच के नाम पर ले लिया गया तथा रिसीविंग प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हुए रविन्द्र कुमार पटेल **I.P.S.–S.T.F** ब्रान्च लखनऊ उ0प्र0, 2062 अंकित किया गया। इसी तरह शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों से स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह के तमाम शैक्षणिक दस्तावेजों को भी **S.T.F** का **I.P.S.** अधिकारी बनकर प्राप्त कर लिया गया तथा जांच करने के नाम पर सुशील कुमार सिंह व राजेश सिंह को ब्लैकमेल करने लगा। ठगी करने के इरादे से गिरफ्तार अभियुक्त ने स0 अध्यापक सुशील कुमार सिंह व स0 अध्यापक राजेश सिंह को आज हाईकोर्ट के पास मिलने के लिए बुलाया था जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 791/2021 धारा 170/171/419/420 भादवि थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।